अध्याय-21

विलंबित निर्माण

पट्टे वाली भूमि पर तय समय में निर्माण कार्य पूरा न करना पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है, या फिर भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अवधि के विस्तर की अनुमति दी जाए या सरकार द्वारा सामान्य विस्तार प्रदान किया जाए। इस प्रकार के उल्लंघन पर निम्नानुसार अर्थदंड का प्रावधान है:-

(i) पूरे वर्ष के अधिमूल्य का 5 प्रतिशत

(ii) 9 महीनों के अधिमूल्य का 4 प्रतिशत

(iii) 6 महीनों के अधिमूल्य का 3 प्रतिशत

(iv) 3 महीनों के अधिमूल्य का 2 प्रतिशत

विनिर्माण के उन विलंबित मामलों में जिनमें निर्माण कार्य कुछ ऐसे कारणों से समय पर पूर्ण न हुआ हो जो पट्टाधारक द्वारा नियंत्रित कर पाना संभव न हो, या पट्टाधारक ने निर्माण कार्य समय पर पूरा करने हेतु संभव प्रयास किए लेकिन वह कार्य समय पर पूरा करने में असमर्थ रहा, भूमि एवं विकास विभाग प्रत्येक मामले की विशेषताओं के आधार पर बिना किसी अर्थदंड के विस्तार प्रदान करेगा।

पुनरुद्धार पट्टों के मामलों में, जिनमें पट्टा विलेख पर भवन निर्माण पूर्ण करने की कोई तिथि उल्लेखित नहीं होती है, कार्य पूर्ण करने की तिथि लीज डीड के आस्तित्व में आने की तिथि से दो वर्ष तक होगी।